

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश

" कचनार " ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी भोपाल 462016

E-mail : Bhopal @mptownplan.gov.in

क्रमांक: बीपीएलएलपी-2910/एल पी -70/29/नग्रानि/जिका/2016, भोपाल, दिनांक 24/11/2016
प्रति,

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय:- ग्राम-खजूरीकलां, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 461/2/2
रकबा 0.887 हेक्टेयर (8870 वर्गमीटर) पर बहुइकाई आवासीय विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम:- "शिवलोक हाईट्स "

संदर्भ:- प्रभारी कालोनी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भोपाल के पत्र क्रमांक-1854/का. प्रको/2016 दिनांक
28.07.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम-खजूरीकलां, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 461/2/2 रकबा 0.887 हेक्टेयर (8870 वर्गमीटर) जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में 'प्रस्तावित आवासीय' निर्दिष्ट है, पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त मेसर्स द्रोपदी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो० अजय शर्मा आ० श्री शिवनारायण शर्मा, एस-02, गोमती विला, 273 जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल के आवेदन के संबंध में आवासीय भूमि उपयोग में बहु इकाई आवासीय विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 (अ) एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) के प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959
2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं उसके अंतर्गत तैयार आदर्श उपविधियों व तत्संबंधी नियम।
3. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1998
4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल भोपाल।
5. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल।
7. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।
8. नजूल अधिकारी, भोपाल।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास के स्थिति में)।
10. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल।
11. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by Shivkant Mudg
Date: 2016.11.24 19:02:02 IST

3. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हावैस्टिंग / रूफ वाटर हावैस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
4. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
5. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
बहुमंजिला भवन में सामने से 7.50 मीटर, पीछे से 6.0 मीटर (न्यूनतम), दायें से 6.0(न्यूनतम) मीटर एवं बायें से 6.0 मीटर (न्यूनतम)।
6. एफ.ए.आर 1:1.25 (एक अनुपात एक दशमलव दो पांच) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम उंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (18.0 मीटर + स्टील्ट पार्किंग+बेंसमेंट)
7. पार्किंग :- बहु इकाई आवास हेतु एक ई सी एस प्रति 100.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 124 ई सी. एस की आवश्यकता होगी। स्टील्ट में 30.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 69 ईसीएस, बेंसमेंट में 35.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 26 ईसीएस, खुले क्षेत्र में 25.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 43 ईसीएस का प्रावधान है।
8. परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
9. कार्यालय नजूल अधिकारी, नजूल वृत्त एम. पी. नगर भोपाल, के पत्र क्रमांक- 124/बी-121/13-14 नजूल/राज. परि./2014 दिनांक 12.06.2014 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
10. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक-754/02/भोविप्रा/16 भोपाल, दिनांक 26.08.2016 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. संस्था / आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स / बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
12. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
13. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित बहु इकाई आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर, हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
15. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
16. इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।
17. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी की कुल 151 आवासीय इकाईया प्रस्तावित किये गये है उक्ताधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 (4) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी के लिये प्रकोष्ठ देने का विकल्प प्रदान किया है। इस विषय में ई.डब्ल्यू.एस हेतु 14 इकाई एवं एल.आई.जी. हेतु 09 इकाई का प्रावधान किया है।
इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
18. इस कार्यालय एवं राजसव विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 04.10.2016 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।

Digitally signed by Shikant Kumar
Date: 2016.11.24 14:02:15
Signature valid

19. विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये।
20. मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
21. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
22. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5000/- चालान क्रमांक- 113 दिनांक 08.08.2016 भारतीय स्टेट बैंक, एम. पी. नगर शाखा एवं विकास अनुज्ञा शुल्क 67000/- चालान क्रमांक- UBIN.053837002171111201600067 दिनांक 11.11.2016 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा-सायवर ट्रेजरी द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
23. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
24. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे, इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
25. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
26. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
27. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
28. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
29. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
30. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
31. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
32. प्रस्तावित योजना में पहुँच मार्ग हेतु कोई भी विवाद होता है तो वह संस्था के स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
33. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।
34. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
35. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
36. भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक-25/2012/से.शु. Digitally signed by Shikant Marag Date: 2016.11.24 19:02:02 IST भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक-25/2012/से.शु. भवन/बहुमंजिला भवन के निर्माण में एक से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाये तो उस पर सेवाकर देय है। अतः सेवाकर हेतु पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
37. आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "शिवलोक हाईट्स "
38. रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

39.

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत, रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल -सीहोर-रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक: बीपीएलएलपी-2910/एल.पी-70/29/नयानि/जिका/2016, भोपाल, दिनांक 24/11/2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन (बैंब) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष), नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदक मेसर्स द्रोपदी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रा० अजय शर्मा आ० श्री शिवनारायण शर्मा, एस-02, गोमती विला, 273 जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल प्रस्ताधीन भूमि पर समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे तथा समस्त शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साईट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

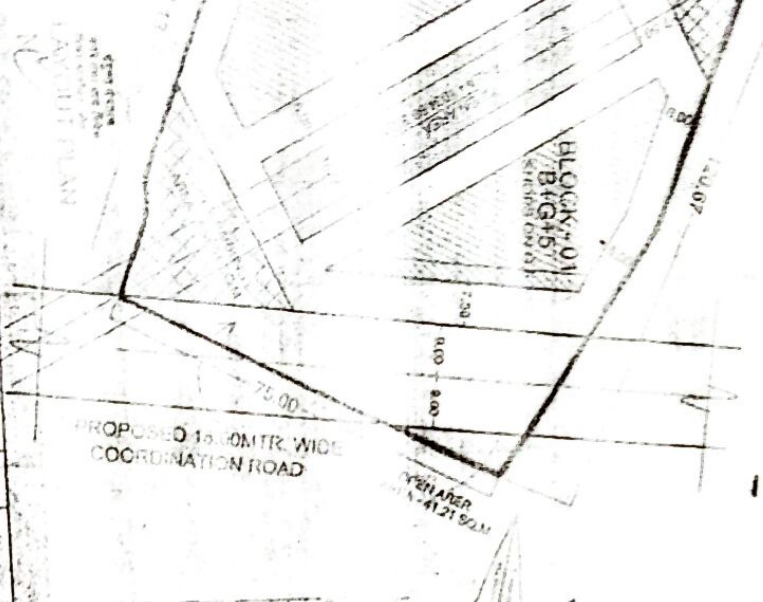
Signature Valid

Digitally signed by Shivkant Mudg
Date: 2016.11.24 19:02:02 IST

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल -सीहोर-रायसेन म.प्र.

[illegible]

PROPOSED UNIT RESIDENTIAL DEVELOPMENT
TOTAL RAREE 48,000 HECT
3000A, 5000A, 6000A, 7000A
CONSTRUCTIONS

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar fashion. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a roster of some kind.

2. The second part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the first part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

3. The third part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the second part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

4. The fourth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the third part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

5. The fifth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the fourth part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

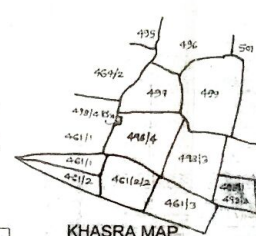
6. The sixth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the fifth part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

7. The seventh part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the sixth part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

8. The eighth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the seventh part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

9. The ninth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the eighth part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.

10. The tenth part of the document is a series of short, handwritten notes or entries. These are arranged in a columnar fashion, similar to the ninth part. The notes are written in a cursive script, and they appear to be related to the names and addresses listed in the first part.



		PARKING DETAIL			
S. No	Area	STRT	OPEN	BASEMENT	
1	Block A	2501.00	100.00	100.00	
2	Block B	2710.00	100.00	100.00	
3	Block C	2710.00	100.00	100.00	
4	Block D	2710.00	100.00	100.00	
5	Block E	2710.00	100.00	100.00	
6	Block F	2710.00	100.00	100.00	
7	Block G	2710.00	100.00	100.00	
8	Block H	2710.00	100.00	100.00	
9	Block I	2710.00	100.00	100.00	
10	Block J	2710.00	100.00	100.00	
11	Block K	2710.00	100.00	100.00	
12	Block L	2710.00	100.00	100.00	
13	Block M	2710.00	100.00	100.00	
14	Block N	2710.00	100.00	100.00	
15	Block O	2710.00	100.00	100.00	
16	Block P	2710.00	100.00	100.00	
17	Block Q	2710.00	100.00	100.00	
18	Block R	2710.00	100.00	100.00	
19	Block S	2710.00	100.00	100.00	
20	Block T	2710.00	100.00	100.00	
21	Block U	2710.00	100.00	100.00	
22	Block V	2710.00	100.00	100.00	
23	Block W	2710.00	100.00	100.00	
24	Block X	2710.00	100.00	100.00	
25	Block Y	2710.00	100.00	100.00	
26	Block Z	2710.00	100.00	100.00	
27	Block AA	2710.00	100.00	100.00	
28	Block AB	2710.00	100.00	100.00	
29	Block AC	2710.00	100.00	100.00	
30	Block AD	2710.00	100.00	100.00	
31	Block AE	2710.00	100.00	100.00	
32	Block AF	2710.00	100.00	100.00	
33	Block AG	2710.00	100.00	100.00	
34	Block AH	2710.00	100.00	100.00	
35	Block AI	2710.00	100.00	100.00	
36	Block AJ	2710.00	100.00	100.00	
37	Block AK	2710.00	100.00	100.00	
38	Block AL	2710.00	100.00	100.00	
39	Block AM	2710.00	100.00	100.00	
40	Block AN	2710.00	100.00	100.00	
41	Block AO	2710.00	100.00	100.00	
42	Block AP	2710.00	100.00	100.00	
43	Block AQ	2710.00	100.00	100.00	
44	Block AR	2710.00	100.00	100.00	
45	Block AS	2710.00	100.00	100.00	
46	Block AT	2710.00	100.00	100.00	
47	Block AU	2710.00	100.00	100.00	
48	Block AV	2710.00	100.00	100.00	
49	Block AW	2710.00	100.00	100.00	
50	Block AX	2710.00	100.00	100.00	
51	Block AY	2710.00	100.00	100.00	
52	Block AZ	2710.00	100.00	100.00	
53	Block BA	2710.00	100.00	100.00	
54	Block BB	2710.00	100.00	100.00	
55	Block BC	2710.00	100.00	100.00	
56	Block BD	2710.00	100.00	100.00	
57	Block BE	2710.00	100.00	100.00	
58	Block BF	2710.00	100.00	100.00	
59	Block BG	2710.00	100.00	100.00	
60	Block BH	2710.00	100.00	100.00	
61	Block BI	2710.00	100.00	100.00	
62	Block BJ	2710.00	100.00	100.00	

AREA BREAK-UP OF MULTITUNT				
RESIDENTIAL DEVELOPMENT				
LAND AREA (0.87 HECTARE)				
A	AREA UNDER 14.0 M ROAD CROSSING ROAD	687.0		0.02 M
	NET AREA LEFT	284.3	130	0.04 M
B	MAX PER. CROUCHING COVERAGE	26%	2,304 (0.0274)	
C	OPEN PER. PARKING & SERVICES	111.25	100 (0.0137)	0.04 M
D	FAR AREA AVAILABLE 16.0 M ROAD WIDENING (0.02 KM ² ROAD)	2269.7	2389.7	0.04 M
E	MAX F.A.R. AVAILABLE		12322.5	0.04 M
F	MAX PER. HEIGHT	0+18	3+18	0.04 M
G	M.O.S. FRONT	7.50		0.04 M
H	M.O.S. REAR & ALL SIDES	6.50		0.04 M
I	PARKING @ 1 EG/5.0 SQ. M. BLVA	123.23		0.04 M
J	BASMENT PARKING		24	0.04 M
K	STREET FOOTING		0.04 M	0.04 M
L	OPEN		0.04 M	0.04 M
M	SHOPS ON GROUND FLOOR AT BLOCK-1		0.04 M	0.04 M

[illegible]